

परिशिष्ट - 1 "अ"

ता. प्र. क्र. 5759-इस श्रेणी संबंधित चोरेल

विधानसभा तारांकित प्रश्न कं. 5759 (ग) की पूरक जानकारी :-

रतलाम जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति की जानकारी

कं.	अधिकारी का नाम	अधिरोपित शास्ति राशि	आवेदक को दंड स्वरूप प्रदान की गई राशि
1	श्री बी.एस.तडवाल सहायक आपूर्ति अधिकारी रतलाम	रुपये 250/-	रुपये 250/-
2	श्री प्रफुल्ल खत्री परियोजना अधिकारी रतलाम शहर-02	रुपये 1250/-	रुपये 1250/-
3	श्री आर.पी. मिश्रा मुख्य नगर पालिका अधिकारी जावरा	रुपये 6,000/-	रुपये 6,000/-
4	श्री वी.के.गुप्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सैलाना जिला रतलाम	रुपये 39,250/-	रुपये 39,250/-
5.	डॉ. प्रकाश उपाध्याय बी.एम.ओ. जावरा	रुपये 500/-	
6	डॉ. प्रकाश फुलम्बीकर बी.एम.ओ. खारवाकला	रुपये 4000/-	
	डॉ. जितेन्द्र जासवाल बी.एम.ओ. बाजना	रुपये 500/-	
7	श्री लक्ष्मणसिंह डिंडोर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रतलाम	रुपये 2750/-	
4	श्री वी.के.गुप्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सैलाना जिला रतलाम	रुपये 250/-	
	श्री के.के.यादव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सैलाना जिला रतलाम	रुपये 7,250/-	
	कुल अधिरोपित शास्ति राशि	रुपये 62,000/-	

पदाभिहित अधिकारियों से जूमाना राशि वसूल की जा चुकी है, भूगतान की कार्यवाही प्रचलित है। राशि वसूलने में किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ है।

नोट- पदाभिहित अधिकारियों से अधिरोपित शास्ति की राशि वसूल की जा चुकी है।